उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या: 38/2021/1359/1372933 /12-2099/95/2021

लखनऊ: दिनांक: 07 जुलाई, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

केन्द्र पुरोनिधानित प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर फार इन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्राप रेज्ड्यिू योजना के संचालन हेतु सिंगल नोडल एजेन्सी नामित कराये जाने एवं दिनांक 01 जुलाई, 2021 से योजनान्तर्गत धनराशि के अन्तरण उपयोग एवं अनुश्रवण हेतु पी0एफ0एम0एस0 (PFMS) व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ.एन.1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020, दिनांक 23 मार्च, 2021 एवं सचिव(व्यय), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफ.1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020, दिनांक 12 अप्रैल, 2021 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना(सीएसएस) के लिए, राज्य सरकार द्वारा सिंगल नोडल एजेन्सी नामित किये जाने, तथा, योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित सिंगल नोडल एजेन्सी द्वारा शिड्यूल कामर्शियल बैंक, जो सरकारी लेन-देन के लिए अधिकृत की गयी हों, में बैंक खाता खोले जाने तथा इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी हेतु जनपद स्तर पर जीरो बैलेंस सब्सिडियरी बैंक खाता खोलने का प्रावधान किया गया है।

2- दिनांक 01 जुलाई, 2021 से केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की धनराशि के अन्तरण, उपयोग एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-6/2021/बी-1-499/दस-2021, दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।

3- भारत सरकार तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों क्रम में, उत्तर प्रदेश राज्य में, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट आफ क्राप रेज्ड्यिू योजनान्तर्गत सिंगल नोडल एजेन्सी/योजना के संचालन हेतु कृषि निदेशालय, उ0प्र0 के स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) को सिंगल नोडल एजेन्सी एवं जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक को इम्प्लीमेटिंग एजेन्सी नामित किया जाता है ।

4- चूंकि, इन-सीटू योजना में अनुदान राज्य स्तर से सीधे कृषकों के खाते में जाता है. अतः राज्य स्तर पर PFMS compliant खाता ही खोला जाएगा, तथा, जिला स्तर से वेरिफिकेशन रिपोर्ट /अन्य रिपोर्ट्स ऑनलाइन प्रणाली द्वारा पूर्व की भाँति अपलोड की जाएगा । इन-सीटू योजना के लिए जिला स्तर पर पृथक से खाता नहीं खोला जाएगा ।

5- भारत सरकार तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश के संदर्भित आदेश द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव ।

http://srisandesh.up.gov.in

संख्या: 38/2021/ 1359 /1372933 /12-2099/95/2021 तददिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
2. सचिव(व्यय), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
   (ई-मेल: secyexp@nic.in)
3. निदेशक, एफ.सी.डी., वित्त मंत्रालय, पी0एफ0एम0एस0डिवीजन, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
   (ई-मेल: subhash.meena@nic.in)
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ,लखनऊ को उनके पत्रांक-अभि/186/पी0एफ0एम0एस0/इन-सीटू/लेखा/2021-22/ लखनऊ, दिनांक 02 जुलाई, 2021 के संदर्भ में, अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु,
5. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
6. संयुक्त कृषि निदेशक(अभियन्त्रण), कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ,
7. समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ,
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ तथा अन्य समस्त जनपदों के कोषाधिकारी,
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, बजट अनुभाग-1/2, कृषि अनुभाग-3/5, नियोजन अनुभाग-3, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन,
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in